

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3553/2026

Allarakha S/o Sheyad Khan, Aged About 25 Years, Resident Of
Sekhara, Police Station Rawla, At Present Resident Of 12
Kishanawali Dhani, Police Station Jetsar, Tehsil Sri Vijaynagar
City, District Sri Ganganagar, Rajasthan.
(Presently Lodged At Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : श्री एस.आर. गोदारा

For Respondent(s) : श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत
प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस
थाना— राजियासर, जिला— गंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—
101/2025 अपराध अन्तर्गत **धारा 115(2), 126(2), 307, 189(2) भारतीय न्याय
संहिता** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त
को धारा 115(2), 126(2), 307, 189(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा
संबद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम परिवादी
द्वारा अंकित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा चार नामजद व्यक्तियों व अन्य
व्यक्तियों द्वारा परिवादी के साथ मारपीट करना और उसका मोबाइल, चेन
इत्यादि छीनना बताया है। इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई शिनाख्तगी
कारवाई परिवादी से नहीं करवायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त से लूट का कोई

सामान बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर अपराध में संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के साथ मारपीट कर 29,600/— रुपये, मोबाइल, सोने व चांदी की चेन की लूट कारित की गयी है और इस संदर्भ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्रार्थी/अभियुक्त से प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम उल्लेखित नहीं है। लूटशुदा सामग्री की बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त से नहीं हुई है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अल्लारखा पुत्र सेयद खां** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत

करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्त:—

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J